RIGHT TO INFORMATION CELL

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

RIICO LTD.
RTI CELL
Room No.-09, Basement
Udyog Bhawan,
Tilak Marg, Jaipur-302005
E-Mail : rti@riico.co.in
Tel No. 0141- 5103735/2227751

रजि. एडी

क्रमांक : आरटीआई / जी–7 / 14–15/70
दिनांक : 10 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2015

व0 उप महाप्रबन्धक / व0 क्षेत्रीय प्रबन्धक /
क्षेत्रीय प्रबन्धक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
रीको लि0, ...

....

विषयः– राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम, 2012 एवं राज0 लोक सेवामें के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों व शास्ती की सूचना भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– संयुक्त निदेशक, उधोग, कार्यालय आयुक्त उधोग विभाग कमांकः एफ48( ) आ.उ. / जनसुनवाई / 12 दिनांक 25.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि संयुक्त निदेशक, उधोग के पत्र कमांकः एफ48 ( ) आ.उ. / जनसुनवाई / 12 दिनांक 25.03.2015 के साथ संलग्न व0 उप शासन सचिव उधोग (ग्रुप–1) विभाग का पत्र कमांक प.8 (2) उधोग / 1 / 2013 दिनांक 27.02.2015 के साथ संलग्न प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र कमांकः प.13(5)प्रसु / सम / अनु–1 / 2011 दिनांक 31.02.2015 तक प्राप्त आवेदन एवं अपील (मय अधिरोपित शास्ती के) संबंधी सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवायी जानी है। उक्त परिपत्र आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

भवदीय,

10/4

(दिनेश कुमार पहाडिया)
राज्य लोक सूचना अधिकारी
(मुख्यालय) / व0 उप महाप्रबन्धक

संलग्नः उपरोक्तानुसार

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांकः एफ 48 ( )आ.उ. / जनसुनवाई / 12 दिनांकः 25.03.2015

सलाहकार(ए & एम),
रीको लिमिटेड,
उद्योग भवन, जयपुर।

मुख्य महाप्रबन्धक(एफ& ए)
बी.आई.पी.,
उद्योग भवन, जयपुर।

उप महा प्रबन्धक,
राजस्थान वित्त निगम,
उद्योग भवन, जयपुर।

विषय :– राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत् प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों व शास्ती की सूचना भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– वरिष्ठ उप शासन सचिव, उद्योग(ग्रुप–1) विभाग का पत्र क्रमांक प. 8(2)उद्योग / 1 / 2013 दिनांक 27.02.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि वरिष्ठ उप शासन सचिव उद्योग(ग्रुप–1) विभाग का पत्र क्रमांक प. 8(2)उद्योग / 1 / 2013 दिनांक 27.02.2015 के साथ संलग्न प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(5)प्रसु / सम / अनु–1 / 2011 दिनांक 23.02.2015 के द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के लागू होने से दिनांक 31.02.2015 तक प्राप्त आवेदन एवं अपील(मय अधिरोपित शास्ती के) संबंधी सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवायी जानी है। अतः यह सूचना शीघ्रताशीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें एवं इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की निम्नांकित अवधियों की सूचनाएं भी पृथक–पृथक् (मय अधिरोपित शास्ती के)निर्धारित प्रपत्रों में प्रेषित करावें–

1. अधिनियम लागू होने की तिथि से दिनांक 31.12.2014 तक।
2. दिनांक 16.12.2013 से दिनांक 15.12.2014 तक।
3. दिनांक 16.12.2013 से दिनांक 31.01.2015 तक।
4. दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 31.12.2014 तक।
5. दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 31.01.2015 तक।
6. दिनांक 01.02.2015 से दिनांक 20.03.2015 तक।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

25.3.15

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त निदेशक, उद्योग

OFFICE ... (A&M) RIICO LTD., JPR.
26 MAR 2015
No. 1631

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम,2012 के अन्तर्गत प्राप्त एवं निस्तारित आवेदनों की पाक्षिक सूचना

1. माहः–

2. सूचना अवधिः– प्रथम पक्ष दिनांक 01 से 15 तकः–
द्वितीय पक्ष दिनांक 16 से 30 / 31 तकः–

क.स.	जिला	दिनांक 01.08.2012 से ----- गत पक्ष तक की सूचना			चालू पक्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (कॉलम संख्या 5 व 6)	चालू पक्ष में निस्तारित आवेदन पत्र	चालू पक्ष के अन्त में लंबित आवेदन पत्र	लंबित रहने का कारण
		कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनो की संख्या	शेष लंबित आवेदन पत्रों की संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

हस्ताक्षर

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम,2012 के अन्तर्गत प्राप्त एवं निस्तारित अपीलों की पाक्षिक सूचना

1. माहः–

2. सूचना अवधिः– प्रथम पक्ष दिनांक 01 से 15 तकः–
द्वितीय पक्ष दिनांक 16 से 30/31 तकः–

क.स.	जिला	दिनांक 01.08.12 से ----- तक की सूचना									लंबित रहने का कारण	शास्ति के प्रकरणों की संख्या	शास्ति राशि
		प्राप्त अपीले			निस्तारित अपीले			शेष अपीलें					
		प्रथम	द्वितीय	योग	प्रथम	द्वितीय	योग	प्रथम	द्वितीय	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः– प.8 (2) उद्योग / 1 / 2013 जयपुर, दिनांकः 16/3/15

1. आयुक्त, उद्योग, जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, रीको लिमिटेड़, जयपुर।
4. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन, जयपुर।

विषय :– राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन एव अधिनियमो के अन्तर्गत प्राप्त तथा निस्तारित प्रकरणों की सूचना प्रेषित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार (अनु.–1) विभाग से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त तथा निस्तारित प्रकरणों की सूचना प्रेषित करने के संबंध में प्राप्त पत्र क्रमांकः प.13(5)प्रसु / सम. / अनु–1 / 2011 दिनांक 23.02.2015 आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाये जा रहा है।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(जितेन्द्र चौहान)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

Please ensure compliance.

Adv C ARM
16/3/2015

17 MAR 2015

16 MAR 2015

199
2/3/15

696636
4/3/15
44

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु–1) विभाग

क्रमांक प. 13 (5) प्रसु/सम./अनु–1/2011 जयपुर, दिनांक: 23 फरवरी, 2015

समस्त संभागीय आयुक्त/
समस्त जिला कलक्टर/
समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

–:परिपत्र:–

विषयः–राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त तथा निस्तारित प्रकरणों की सूचना प्रेषित करने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर, विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों के स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षोपरान्त पाक्षिक रिपोर्ट (मय अधिरोपित शास्ती) प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित करने हेतु समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं।

इन अधिनियमों के सही क्रियान्वयन एवं समय–समय पर क्रियान्वयन की समीक्षा के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशो की निरन्तरता में एतद् द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 की पाक्षिक सूचना (मय अधिरोपित शास्ती) प्रतिमाह प्रथम पक्ष की सूचना 20 तारीख तक तथा द्वितीय पक्ष की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे। यह सूचना पूर्ववत जिला कलक्टर के स्तर पर संकलित करके प्रेषित की जायेगी।
2. इन दोनों अधिनियमों के प्रभावी होने की दिनांक से दिनांक 31.01.2015 तक की पाक्षिक सूचना (मय अधिरोपित शास्ती) दिनांक 25.02.2015 तक निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
3. यह सुनिश्चित किया जावे कि आलौच्य पक्ष के दौरान दर्ज अपीलों एवं शास्ती की सूचना स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रपत्रों में अंकित कर दी गई है, यदि कोई अपील

नहीं हुई हो तो सूचना में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि "आलौच्य पक्ष (Fortnight) में कोई अपील / शास्ती दर्ज नहीं हुई है।"

4. उक्त बिन्दु संख्या 2 एवं 3 की सूचना दोनों अधिनियमों के लागू होने से 31.01.2015 तक प्रस्तुत की जानी है। इनके अतिरिक्त इन अधिनियमों की निम्नांकित अवधियों की सूचनाएं भी पृथक्–पृथक् (मय अधिरोपित शास्ती के) निर्धारित प्रपत्रों में प्रेषित करें:–

(1) अधिनियम लागू होने की तिथि से दिनांक 31.12.2014 तक

(2) दिनांक 16.12.2013 से दिनांक 15.12.2014 तक

(3) दिनांक 16.12.2013 से दिनांक 31.01.2015 तक

(4) दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक

(5) दिनांक 01.01.2014 से 31.01.2015 तक

(6) पाक्षिक सूचना संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा आंकड़ों की जांच के उपरान्त ही प्रेषित की जावे।

कृपया उक्त वांछित सभी सूचनाएं ई–मेल आई.डी. cmv@rajasthan.gov.in पर दिनांक 25.02.2015 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को दी जाकर लेख है कि कृपया उक्त दोनों अधिनियमों की पालना सुनिश्चित कराने का कष्ट करावें।
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी– समस्त राजकीय उपक्रम / निगम / मंडल / स्वायत्तशासी निकाय / जिला परिषद
5. अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनु–3 को पत्रावली 13 (1)प्रसु / सम / अनु–1 / 2012 में संलग्न करने हेतु।

23/2/15

(बन्ना लाल)
निदेशक, पब्लिक सर्विसेज